बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार

32, हार्डिंग रोड, पटना-800001

फोन- 0612-2231563, फैक्स नं. : 2231562, 2215089, Email- bseapatna@gmail.com, बेबसाईट : www.bsea.bih.nic.in

पत्रांक : नि० प्रा०/नि० 1-06/2018 218 /पटना, दिनांक 07/02/2019

प्रेषक,

रंजना कुमारी,
संयुक्त सचिव।

सेवा में,

निबंधक, सहयोग समितियॉ, बिहार, पटना।
प्रबंध निदेशक, कम्फेड, पटना।
सभी प्रमंडलीय संयुक्त निबंधक, सहयोग समितियॉ।
सभी जिला सहकारिता पदाधिकारी।
सभी प्रबंध निदेशक, दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि०।
सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी -सह- निर्वाचन पदाधिकारी (स०स०)।

विषय : **विगत चुनाव के अंतिम मतदाता सूची की जांच के संबंध में।**

महाशय,

निदेशानुसार कहना है कि दिनांक 17-19 दिसम्बर 2018 को संपन्न राज्य स्तरीय बैठक में क्षेत्रीय पदाधिकारियों द्वारा यह सुझाव दिया गया कि विगत चुनाव के अंतिम मतदाता सूची को आधार सूची माना जाय। इस क्रम में यह भी सुझाव आया कि विगत चुनाव की अंतिम मतदाता सूची (आधार सूची) में भी कतिपय त्रुटियाँ हो सकती हैं, इसलिए स्वच्छ मतदाता सूची के निर्माण के उद्देश्य से आधार सूची की भी जांच करा लेना श्रेयष्कर होगा।

जैसा कि आप अवगत है, प्रायः सहकारी समितियों के निर्वाचन में सदस्यता सूची/ मतदाता सूची पर विवाद होता है। पूर्व की मतदाता सूची में भी कतिपय विवाद के मामले सामने आये हैं। स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव कराने की दिशा में स्वच्छ मतदाता सूची का निर्माण कराया जाना सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य है। अतएव यह सुनिश्चित किया जाना है कि मतदाता सूची पर विवाद की स्थिति उत्पन्न नहीं हो।

प्राथमिक कृषि साख समिति (पैक्स) का चुनाव भी निकट भविष्य में लोकसभा निर्वाचन के पश्चात् संभावित है। प्राधिकार का यह अनुभव रहा है कि प्राथमिक कृषि साख समिति (पैक्स) के चुनाव में सदस्यता सूची/ मतदाता सूची पर अधिक विवाद होता है। अतः विवाद रहित मतदाता सूची के निर्माण के लिए यह आवश्यक है कि विगत चुनाव की अंतिम मतदाता सूची की भी जांच करा ली जाय।

विदित हो कि स्वच्छ मतदाता सूची के निर्माण के लिए प्राधिकार के पत्रांक 131 दिनांक 15.01.2019 द्वारा यह व्यवस्था की गयी है कि दिनांक 01.02.2019 से समिति द्वारा जो भी प्रस्ताव संबंधित पदाधिकारी को दिये जायेगे, उनमें प्रारूप मतदाता सूची हेतु समिति द्वारा भेजी जाने वाली सदस्यता सूची समिति की प्रबंधकारिणी समिति के अनुमोदनोपरांत ही दी जायगी।

उपर्युक्त परिपेक्ष्य में बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार ने यह निर्णय लिया है कि विगत चुनाव की अंतिम मतदाता सूची आधार सूची होगी और उक्त आधार सूची की जांच अभियान चलाकर अविलम्ब सम्पन्न करा ली जायगी।

अतः अनुरोध है कि विगत चुनाव की अंतिम मतदाता सूची (आधार सूची) की जांच अभियान चलाकर अविलम्ब सम्पन्न करा ली जाय।

विश्वासभाजन
06.2.19
(रंजना कुमारी)
संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक: 218 पटना, दिनांक 07/02/2019

प्रतिलिपि: सभी जिला पदाधिकारी -सह- जिला निर्वाचन पदाधिकारी (स०स०) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

06.2.19
संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक: 218 पटना, दिनांक 07/02/2019

प्रतिलिपि: अपर मुख्य सचिव, सहकारिता विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

06.2.19
संयुक्त सचिव।